संख्या-3/3203/33-3-2014-100(12)/2014

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2015

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू035949.633 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/2005/2014-5/54/2014 दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012, शासनादेश संख्या- 89/33-3-2013-100(20)/2012, दिनांक 28 जनवरी, 2012 तथा शासनादेश संख्या-366/33-3-2013-100(20)/2012, दिनांक 06 जनवरी, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014 दिनांक 28 नवम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2014-15 में उक्त योजना के लिए प्रावधानित 30000.00 लाख की सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अनुपूरक अनुदान के माध्यम से इस योजनान्तर्गत रू0 36210.61 लाख की धनराशि की अतिरिक्त बजट व्यवस्था की गयी है। अनुपूरक अनुदान के माध्यम से की गयी उक्त बजट व्यवस्था में से वित्तीय वर्ष 2014-15 के कार्यो को पूर्ण कराने हेतु रू0 35949.633 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014-15 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014, वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014 दिनांक 28 नवम्बर, 2014 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीक़ति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-ब़हत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितब्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितब्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(11) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(12) उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

2- यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-41(1) /दस-2015 दिनांक 13.01.2015 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त संबंधित जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त संबंधित मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-3/3202/33-3-2014-100(12)/2014 दिनांक 15 जनवरी, 2015 का संलग्नक।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु सामान्य (अनुदान संख्या- 14) में अनुपूरक मांगों के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से अवमुक्त करने का जनपदवार फॉट।

अनुदान संख्या- 14 (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि		
		सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श)	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5
1	लखनऊ	46.563	3.437	50.000
2	हरदोई	512.188	37.812	550.000
3	सीतापुर	325.938	24.062	350.000
4	खीरी	512.188	37.812	550.000
5	रायबरेली	214.188	15.812	230.000
6	उन्नाव	372.500	27.500	400.000
7	वाराणसी	447.000	33.000	480.000
8	चन्दौली	400.438	29.562	430.000
9	जौनपुर	707.750	52.250	760.000
10	गाजीपुर	614.625	45.375	660.000
11	मिजोपुर	391.125	28.875	420.000
12	सोनभद्र	130.375	9.625	140.000
13	भदोही	335.250	24.750	360.000
14	आजमगढ	717.063	52.937	770.000
15	मऊ	429.904	31.738	461.642
16	बलिया	540.125	39.875	580.000
17	बस्ती	530.813	39.187	570.000
18	सिद्धार्थनगर	549.438	40.562	590.000
19	सन्तकबीर नगर	512.188	37.812	550.000
20	बरेली	605.313	44.687	650.00
21	शाहजहांपुर	456.313	33.687	490.000
22	बदायूँ	679.813	50.187	730.000
23	पीलीभीत	437.688	32.312	470.000
24	इलाहाबाद	596.000	44.000	640.000
25	कौशाम्बी	149.000	11.000	160.000
26	प्रतापगढ	493.563	36.437	530.000
27	फतेहपुर	409.750	30.250	440.000
28	फैजाबाद	419.063	30.937	450.000
29	बाराबंकी	335.250	24.750	360.000
30	अम्बेडकरनगर	372.500	27.500	400.000
31	सुल्तानपुर	493.563	36.437	530.000
32	अमेठी	484.250	35.750	520.000
33	गोण्डा	707.750	52.250	760.000
34	बलरामपुर	605.313	44.687	650.000
35	बहराइच	726.375	53.625	780.000
36	श्रावस्ती	447.000	33.000	480.000
37	कानपुर नगर	298.000	22.000	320.000

http://shasanadesh.up.nic.in

38	कानपुर देहात	363.188	26.812	390.000
39	फर्रूखाबाद	288.688	21.312	310.000
40	इटावा	353.875	26.562	380.000
41	औरैया	251.438	18.562	270.000
42	कन्नौज	428.375	31.625	460.000
43	मुरादाबाद	596.00	44.000	640.000
44	सम्भल	484.250	35.750	520.000
45	रामपुर	521.500	38.500	560.000
46	बिजनौर	428.375	31.625	460.000
47	अमरोहा	372.500	27.500	400.000
48	आगरा	437.688	32.312	470.000
49	मथुरा	474.938	35.062	510.000
50	मैनपुरी	400.438	29.562	430.000
51	फिरोजाबाद	521.500	38.500	560.000
52	अलीगढ	447.000	33.000	480.000
53	हाथरस	363.188	26.812	390.000
54	कासगंज	344.563	25.437	370.000
55	एटा	484.252	35.750	520.000
56	झॉसी	119.200	8.800	128.000
57	ललितपुर	307.286	22.705	329.991
58	जालैन	242.125	17.848	260.000
59	मेरठ	437.688	32.312	470.000
60	बागपत	530.813	39.187	570.000
61	गाजियाबाद	298.100	22.000	320.000
62	हापुड	419.063	30.937	450.000
63	गौतमबुद्धनगर	167.625	12.375	180.000
64	बुलन्दशहर	623.938	46.062	670.000
65	सहारनपुर	530.813	39.187	570.000
66	मुजफफरनगर	782.250	57.750	840.000
67	शामली	400.438	29.्562	430.000
68	चित्रकूट	232.813	17.187	250.000
69	बांदा	493.563	36.437	530.000
70	हमीरपुर	409.750	30.250	440.000
71	महोबा	270.063	19.937	290.000
72	गोरखुपर	521.500	38.500	560.000
73	महराजगंज	633.250	46.750	680.000
74	देवरिया	661.188	48.812	710.000
75	कुशीनगर	828.813	61.187	890.000
	महायोगः-	33478.096	2471.537	35949.633

(रूपया तीन अरब उनसठ करोड उनचास लाख तिरसठ हजार तीन सौ मात्र)

(एस0 पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in